



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,  
Regional Office, Western Region,  
केन्द्रीय पर्यावरण भवन  
Kendriya Parayavaran Bhavan,  
लिंक रोड नं० ३/Link Road No. 3,  
E-5, अरेरा कालोनी/Arera Colony,  
भोपाल (म०प्र०)/Bhopal-462016 (M.P.)  
दूरभाष /Phone: 2466525, 2465496, 2465054  
फैक्स Fax: 0755-2463102  
तार Telegram: CENTFOREST  
अण्डाक /E-mail: rcefwr@sanchamnet.in

क्रमांक: 8सी/45/99-एफसीडब्ल्यू/ 1916,

दि. 21-8-2003

प्रति,

प्रधान सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
वन विभाग,  
वल्लभ भवन,  
भोपाल ।

विषय: गुना जिले में उकावद जलाशय के निर्माणार्थ जल संसाधन विभाग द्वारा  
17.20 हे० वनभूमि की मांग ।

संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्रांक 8सी/45/99-एफसीडब्ल्यू/635 दिनांक 21.3.2000  
2. मु०व०सं०(भू-सर्वे),म०प्र० का पत्रांक एफ-3/98/10/सिंचाई/21/45/2127 दिनांक 23.07.2003

P-108  
P-349

महोदय,



कृपया अपने उक्त विषयक पत्रांक एफ-5/35/99/10/3 दिनांक 26.07.1999 का संदर्भ ग्रहण करें  
जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया  
गया था ।

P-100

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित  
पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, म०प्र० शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का  
अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से गुना जिले में उकावद  
जलाशय के निर्माणार्थ जल संसाधन विभाग द्वारा 17.20 हे० वनभूमि के वनेतर उपयोग के लिये वन (संरक्षण)  
अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है :-

वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

मुख्य वन अधिकारी  
(संरक्षण एवं वन संरक्षण)  
म. प्र. शासन  
कार्यक सं. क्र. 853  
कार्यक दिनांक 25/8/03

.....2 पर

मुख्य वन अधिकारी  
क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय  
म. प्र. शासन

6

- वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर गुना जिले की राघवगढ़ तहसील के ग्राम कुड़ई मारु के सर्वे नं० 98 का 17.20 वनभूमि जो संगक्षित वन घोषित हो चुकी है पर इस पत्र के निर्गत होने के दो वर्ष के अंदर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा ।
- प्रस्ताव के साथ संलग्न कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान के अनुसार ट्रीटमेन्ट की कार्यवाही की जायेगा ।
- वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- राज्य सरकार द्वारा लगाई गई अन्य कोई भी शर्त ।

भवदीय,

(दीपक श्रीवास्तव)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

- निदेशक(एफ०सी०) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
- मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, म०प्र० शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
- वन मंडल अधिकारी, गुना वन मंडल, गुना
- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघोगढ़, जिला गुना (म०प्र०)
- आदेश पत्रावली

दीपक श्रीवास्तव

(दीपक श्रीवास्तव)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)